

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

पत्रांक—

पटना, दिनांक—

सं०सं०-5/स० बियाडा (भूमि अधिग्रहण)-02/2025

प्रेषक,

अपर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
बिहार, पटना।

द्वारा:—

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:—

बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत अंचल— सोनवर्षा एवं नानपुर में कुल रकबा 504.52 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की स्वीकृत राशि 298,77,06,366.00 (रुपये दो सौ अठानवे करोड़ सतहत्तर लाख छः हजार तीन सौ छियासठ) मात्र में से राशि रू० 30.00 करोड़ (तीस करोड़) मात्र की निकासी एवं व्यय के संबंध में।

आदेश:—

स्वीकृत।

बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत अंचल— सोनवर्षा एवं नानपुर में कुल रकबा 504.52 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की स्वीकृत राशि रू० 298,77,06,366.00 (रुपये दो सौ अठानवे करोड़ सतहत्तर लाख छः हजार तीन सौ छियासठ) मात्र में से राशि रू० 30.00 करोड़ (तीस करोड़) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना द्वारा की जायेगी।
3. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष— 4885—उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—02—पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघु शीर्ष— 050—भूमि, उपशीर्ष—0101—औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन, विपत्र कोड—23—4885020500101, विषयशीर्ष—0101—53—02 भू-अर्जन मद में उपबंधित राशि से की जायेगी। जिसके लिए यथेष्ट बजट उपलब्ध है।
4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त सचिव—सह— निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लेखा शाखा (स०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना के पी०एल० खाता संख्या—PBBPLA012 में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। उक्त राशि की निकासी BTC Form—46 से की जायेगी, जिसका व्यय भूमि अधिग्रहण के लिये निर्धारित प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।
5. इस योजना के नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा पी०एल० खाताधारी पी०एल० खाता का धन, ऋण, ज्ञापन (Plus Minus Memorandum) एवं व्यय के सुसंगत भाउचर्स उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे एवं एक प्रति विभाग में भी उपलब्ध करायेंगे। इस राशि का अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार वित्त (अंकेक्षण) एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को होगा।
6. प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना इस राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध करायेंगे जिसे नियमानुसार महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जायेगा।
7. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक — 4263 दिनांक — 20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।
8. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक—2561/वि(2) दिनांक—17.04.1998 के कंडिका—2 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. वित्त विभागीय पत्रांक—7355/वि(2), दिनांक—05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 4386 दिनांक- 18.09.2025 द्वारा पूर्व में 60.00 करोड़ (साठ करोड़) मात्र की राशि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना के पी०एल० खाता संख्या-PBBPLA012 में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायी जा चुकी है।

11 प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-5/स० बियाडा(भूमि अधिग्रहण)-02/2025 के पृ०-18/टि० पर दिनांक-20.01.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-5/स० बियाडा (भूमि अधिग्रहण)-02/2025 के पृ०-20/टि० पर दिनांक-29.01.2026 को सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अनिल कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पटना/दिनांक-

सं०सं०-5/स० बियाडा (भूमि अधिग्रहण)-02/2025

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पटना/दिनांक-

सं०सं०-5/स० बियाडा (भूमि अधिग्रहण)-02/2025

प्रतिलिपि- विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पटना/दिनांक-

सं०सं०-5/स० बियाडा (भूमि अधिग्रहण)-02/2025

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लेखा शाखा (स०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 684 पटना/दिनांक- 10-02-26

सं०सं०-5/स० बियाडा (भूमि अधिग्रहण)-02/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, आयडा, पटना/प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, MSME, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/समाहर्ता, सीतामढ़ी/संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, प्रशाखा-1 (स०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव, प्रशाखा-11, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी/आई०टी०प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/02/26

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

①  
IT manager

D:/2sanleh s.